



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-02092022-238573
CG-MH-E-02092022-238573

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3965]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 2, 2022/भाद्र 11, 1944

No. 3965]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 2, 2022/BHADRA 11, 1944

रेल मंत्रालय

[पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

मुम्बई, 2 सितम्बर, 2022

का.आ. 4146(अ).—केंद्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क के उपखंड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, ये समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, यह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, गुजरात राज्य के आणंद जिले में आणंद – गोधरा दोहरीकरण परियोजना नाम की विशेष रेल परियोजना के निष्पादन के लिये आवश्यक है, ऐसी भूमि के अर्जन करने के आशय की घोषणा करती है।

उक्त भूमि के लिये इच्छुक कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा।

प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम प्राधिकारी अर्थात्, प्रांत अधिकारी, आणंद, जिला आणंद न्यू जिल्ला सेवा सदन, गणेश चौकड़ी के पास, आणंद को लिखित रूप में किया जाएगा जो कि आक्षेप का आधार होगा। सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या कानूनी प्रेक्টিशनर के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई और जांच करने के पश्चात्, यदि आवश्यक समझे तो, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों के लिये अनुमति देगा या अनुमति प्रदान नहीं करेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि की भूमि योजना और अन्य ब्यौरे उपलब्ध हैं और इच्छुक व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उक्त उल्लेखित कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

गुजरात राज्य में आणंद – गोधरा दोहरीकरण परियोजना नामक विशेष रेल परियोजना के लिये अधिग्रहण की जाने वाली संरचना सहित या उसके रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य : गुजरात

जिल्ला : आणंद

क्रम संख्या	सुर्वेक्षण/भूखंड संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	अधिग्रहण की जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
तालुका : उमरेठ				
गाँव : गंगापुरा				
1	83	निजी	कृषि	0-00-07
2	84	निजी	कृषि	0-01-65
3	85	निजी	कृषि	0-04-82
4	66/A/1	निजी	कृषि	0-06-70
5	66/A/2			
6	65	निजी	कृषि	0-07-24
7	14	निजी	कृषि	0-08-74
8	8 p	निजी	कृषि	0-16-33
9	मारग	सरकारी	-	0-00-40
10	मारग	सरकारी	-	0-00-65
11	मारग	सरकारी	-	0-02-22
तालुका : उमरेठ				
गाँव : रतनपुरा				
1	5	निजी	कृषि	0-05-02
2	6	निजी	कृषि	0-03-04
3	16/1	निजी	कृषि	0-09-95
4	16/2			
5	17/1	निजी	कृषि	0-04-45
6	17/2			
7	18	निजी	कृषि	0-04-20
8	21/1	निजी	कृषि	0-00-96
9	21/2			
10	50	निजी	कृषि	0-02-87
11	51	निजी	कृषि	0-06-01
12	65			0-07-76
13	64	निजी	कृषि	0-01-83
14	63	निजी	कृषि	0-02-14
15	62	निजी	कृषि	0-01-32
16	61	निजी	कृषि	0-02-72
17	72/1	निजी	कृषि	0-04-02

18	72/2			
19	72/3			
20	72/4			
21	73/1	निजी	कृषि	0-00-20
22	73/2			
23	73/3			
24	73/4			
25	4	सरकारी	-	0-00-34
26	34	सरकारी	-	0-07-14
27	गामतल	सरकारी	-	0-02-75
28	केनाल	सरकारी	-	0-06-45
29	रोड	सरकारी	-	0-01-11

[फा. सं. ई आफिस – (E-291572-5)]

जी. आर. के. रेड्डी, मुख्य अभियंता (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS
[Western Railway (Construction Organization)]
NOTIFICATION

Mumbai, the 2nd September, 2022

S.O. 4146(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has given in the schedule annexed hereto, is required for execution of the Special Railway Project, namely, Anand-Godhra doubling Project in District Anand in the State of Gujarat, hereby declares its intention to acquire such land :

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (i) of section 20D of the said Act:

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, Prant Officer Anand, District Anand, New jilla seva sadan, Near Ganesh chowkdi, Anand in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, After hearing all such objections and after making such further enquiry, if any as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (ii) of section 20(D) of the said act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project namely: Anand-Godhra doubling Project in the state of Gujarat.

State : GUJARAT

District : Anand

Sl. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area of Land to be Acquired (In Sqm)
Taluka : Umreth		District : Anand		
Village : Gangapura				
1	83	Private	Agriculture	0-00-07
2	84	Private	Agriculture	0-01-65
3	85			0-04-82

4	66/A/1	Private	Agriculture	0-06-70
5	66/A/2			
6	65	Private	Agriculture	0-07-24
7	14	Private	Agriculture	0-08-74
8	8 p	Private	Agriculture	0-16-33
9	Marag	Government	-	0-00-40
10	Marag	Government	-	0-00-65
11	Marag	Government	-	0-02-22
Taluka : Umreth		District : Anand		
Village : Ratanpura				
1	5	Private	Agriculture	0-05-02
2	6	Private	Agriculture	0-03-04
3	16/1	Private	Agriculture	0-09-95
4	16/2			
5	17/1	Private	Agriculture	0-04-45
6	17/2			
7	18	Private	Agriculture	0-04-20
8	21/1	Private	Agriculture	0-00-96
9	21/2			
10	50	Private	Agriculture	0-02-87
11	51	Private	Agriculture	0-06-01
12	65	Private	Agriculture	0-07-76
13	64	Private	Agriculture	0-01-83
14	63	Private	Agriculture	0-02-14
15	62	Private	Agriculture	0-01-32
16	61	Private	Agriculture	0-02-72
17	72/1	Private	Agriculture	0-04-02
18	72/2			
19	72/3			
20	72/4			
21	73/1	Private	Agriculture	0-00-20
22	73/2			
23	73/3			
24	73/4			
25	4	Government	-	0-00-34
26	34	Government	-	0-07-14
27	Gamtal	Government	-	0-02-75
28	canal	Government	-	0-06-45
29	Road	Government	-	0-01-11

[F. No. E-Office (E-291572-5)]

G. R. K. REDDY, Chief Engineer (Const.)